(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्र0क0 1813-दो/2014- विरूद्ध आदेश दिनांक 5-6-2014-पारित द्वारा - आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल - प्रकरण क्रमांक 126/2008-09 निगरानी

1- शॅकर प्रसाद राठौर 2- सीताराम राठौर
पुत्रगण गोपाल राठौर निवासी बार्ड नं. 15
पुरानी वस्ती अनूपपुर जिला अनूपपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1-अगसियावाई पत्नि रामदास पुत्री नानदाउ राठौर
ग्राम सामतपुर तहसील व जिला अनूपपुर
2- बेलनियावाई पत्नि उमादत्त पुत्री नानदाउ राठौर
ग्राम बर्री तहसील व जिला अनूपपुर
3- भिमसेनियावाई पुत्री नानदाउ पत्नि नथ्थू राठौर
ग्राम क्वोंटार तहसील जैतहारी जिला अनूपपुर
4- नथ्थू पुत्र भुरसू राठौर वार्ड क-15 अनूपपुर
5- लालू राठौर पुत्र भुरसू सॅघ कार्यालय के पीछे अनूपपुर
6- हीरालाल राठौर पुत्र भुरसू सॅघ कार्यालय के पीछे अनूपपुर
7- विहारी सोनी 8- जगदीश सोनी पुत्रगण जगदेव सोनी
9- गोपाल सोनी 10- गुडडा सोनी पुत्रगण गणेश सोनी
11- ललिता सोनी पत्नि स्व. गणेश सोनी
12- संतोष सोनी पुत्र अंगद सोनी सभी निवासीगण
बार्ड 15 पुरानी वस्ती तहसील व जिला अनूपपुर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

कृ0पृ0उ0--2

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्र.क. 126/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05-06-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनूपपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1025 रकबा 0.26 एकड = 0.105 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी जगदेव पुत्र बबुआ सोनी थे, जिन्होंने इस भूमि को विकय पत्र दिनांक 22-5-67 से नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर को विकय कर दी। केता नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर की मृत्यु होने के कारण इस भूमि पर नामान्तरण कार्यवाही नहीं हुई एंव भूमि विकेता जगदेव पुत्र बबुआ सोनी के नाम दर्ज रही। जगदेव पुत्र बबुआ सोनी की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नि महिला रमौती के नाम फोती नामान्तरण कर दिया गया। केता नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर एंव उसकी पत्नि विलसियावाई ने आवेदकगण की सेवा सुत्रुषा से प्रसन्न होकर उनके हित में बसीयत लिख दी। इसी बसीयतनामे के आधार पर आवेदकगण ने तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर बसीयतकर्ता की कय की गई भूमि पर बसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की । नायव तहसीलदार अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 28 अ-6/99-2000 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24-6-02 पारित किया एंव बसीयत के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर द्वारा कय की गई वादग्रस्त भूमि पर कर दिया। जिसके विरूद्ध निम्न न्यायालयों में अपील/निगरानी प्रस्तुत हुई है :-

1. **मु.रमौती, विहारी, जगदीश, गणेश, इन्द्रवती, रमेश, संतोष ने अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 से अपील अस्वीकार कर दी।**

2. जानकी राठैर पुत्र नानदाउ ने नायव तहसीलदार अनूपपुर के आदेश दिनांक 24-6-02 के विरूद्व अपर कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 29/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-2007 से निगरानी अमान्य की।
3. अपर कलेक्टर अनूपपुर के आदेश दिनांक 30-4-07 के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 से 3 एंव महिला जानकी ने आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की , जो प्रकरण कमांक 126/08-09 पर पंजीबद्व हुई। आवेदकगण ने निगरानी प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की, आपत्ति आवेदन पर सुनवाई कर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने अंतरिम आदेश दिनांक 26-6-12 पारित किया एंव आपत्ति आवेदन अमान्य कर दिया।
4. आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के अंतरिम आदेश दिनांक 26-6-12 के विरूद्व राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 3081-दो/12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-11-12 से निरस्त हुई।

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण कमांक 126/08-09 निगरानी में हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश 5-6-2014 पारित किया तथा नायव तहसीलदार अनूपपुर का प्रकरण कमांक 28 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-6-02, अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 तथा अपर कलेक्टर अनूपपुर का प्रकरण कमांक 29/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-07 निरस्त करते हुये भूमि मृत भूमिस्वामी जगदेव सोनी के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 126/2008-09 अपर कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 29/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-07 के

विरूद्ध प्रस्तुत हुई है किसी भी पक्षकार ने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 को चुनौती नहीं दी है एंव इस आदेश के विरूद्ध अन्य अपील/निगरानी भी प्रस्तुत नहीं है। नायव तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण कमांक 28 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-6-02 को अपर कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 29/2006-07 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई है। जब अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 को किसी भी पक्षकार ने आयुक्त शहडौल के समक्ष अपील अथवा निगरानी दायर करके चुनौती नहीं दी है, आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा नायव तहसीलदार एंव अपर कलेक्टर के आदेशों के विरूद्ध विचारणीय निगरानी प्रकरण कमांक 126/08-09 में पारित आदेश 5-6-2014 से अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 (जो अंतिम होकर अपील/निगरानी के अभाव में Res-Judicata है) को द्वारा पक्षकारों के चेलेंज किये बिना द्वारा स्वस्तर से निरस्त करना न्याय प्रकिया के उल्लॅघन की श्रेणी में माना जावेगा, जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 126/08-09 निगरानी में पारित आदेश 5-6-2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि जब भूमिस्वामी जगदेव पुत्र बबुआ सोनी ने अनूपपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1025 रकबा 0.26 एकड = 0.105 है. विक्रय पत्र दिनांक 22-5-67 से नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर को विक्रय कर दी एंव कब्जा सौंप दिया, विक्रय पत्र लिखने एंव कब्जा सौंपे जाने के उपरांत वादग्रस्त भूमि से विकेता जगदेव का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, भले ही भूमि शासकीय अभिलेख में उसके नाम दर्ज रही , विकेता जगदेव के जीवन काल में वादग्रस्त भूमि से उसके स्वत्व अंतरित होने के उपरांत उसके वारिसान को भी ऐसी भूमि पर नामान्तरण कराने का अथवा हक जताने का स्वत्व नहीं रहता है और जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त अथवा शून्य घोषित नहीं कराया

जाता, जगदेव पुत्र बबुआ सोनी अथवा उसके वारिसान वादग्रस्त भूमि से बंचित माने जावेंगे । केता नानदाउ पुत्र घुण्डुल राठौर उसके उपरांत उसकी पत्नि द्वारा आवेदकगण के हित में की गई बसीयत के आधार पर नायव तहसीलदार अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 28 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-6-02 से समस्त हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर दिये गये नामान्तरण आदेश को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं।

6/ जहाँ तक नायव तहसीलदार अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 28 अ-6/ 99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-6-02 के विरूद्ध अपर कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण कमांक 29/2006-07 निगरानी की प्रचलनशीलता का प्रश्न है? अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-4-07 के पद 4 एंव 5 में की गई विवेचना के अँश उद्धरण इस प्रकार हैं :-

चार :- **जब एक ही मामले की अपील विधि अनुरूप सुनी जा चुकी हो तब उसी मामले में निगरानी किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। यद्यपि कि निगराकार के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क समुचित है कि निगरानी प्रस्तुत करने में कोई रोक नहीं है किन्तु जब किसी विधान में कोई स्पष्ट व्यवस्था हो तब उस व्यवस्था को भंग किया जाना भी न्याय उचित नहीं है। यहां यह स्पष्ट व्यवस्था है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक की प्रथम अपील संहिता की धारा 44 के तहत अनुविभागीय अधिकारी को होगी , तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय निर्णय की द्वित्तीय अपील संभाग आयुक्त को होगी। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी संहिता में दी गई व्यवस्था से भिन्न है।**

पॉच :- **इस प्रकार निगराकार की निगरानी अमान्य की जाकर तहसीलदार का निर्णय यथावत् ठहराया जाता है। तद्नुसार निर्णीत।**

अपर कलेक्टर अनूपपुर के पद चार में की गई विवेचना एंव पद पांच में निगरानी अमान्य करने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने निगरानी प्रचलन-योग्य नहीं मानी है एंव अमान्य की है और निगरानी अमान्य करने तथा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 के अंतिम रहने से नायव तहसीलदार के आदेश को यथावत् मानने का निर्णय है किन्तु

आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा आदेश दिनांक 05-06-2014 से अपर कलेक्टर अनूपपुर के आदेश में निकाले गये निष्कर्षो का भिन्न आशय लगाकर नायव तहसीलदार अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 28 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-6-02 , अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 22/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 तथा अपर कलेक्टर अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 29/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल 2007 को निरस्त करने वावत् लिया गया निर्णय दोषपूर्ण है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनांक 05-06-2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 126/ 2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05-06-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर